Result Mitra

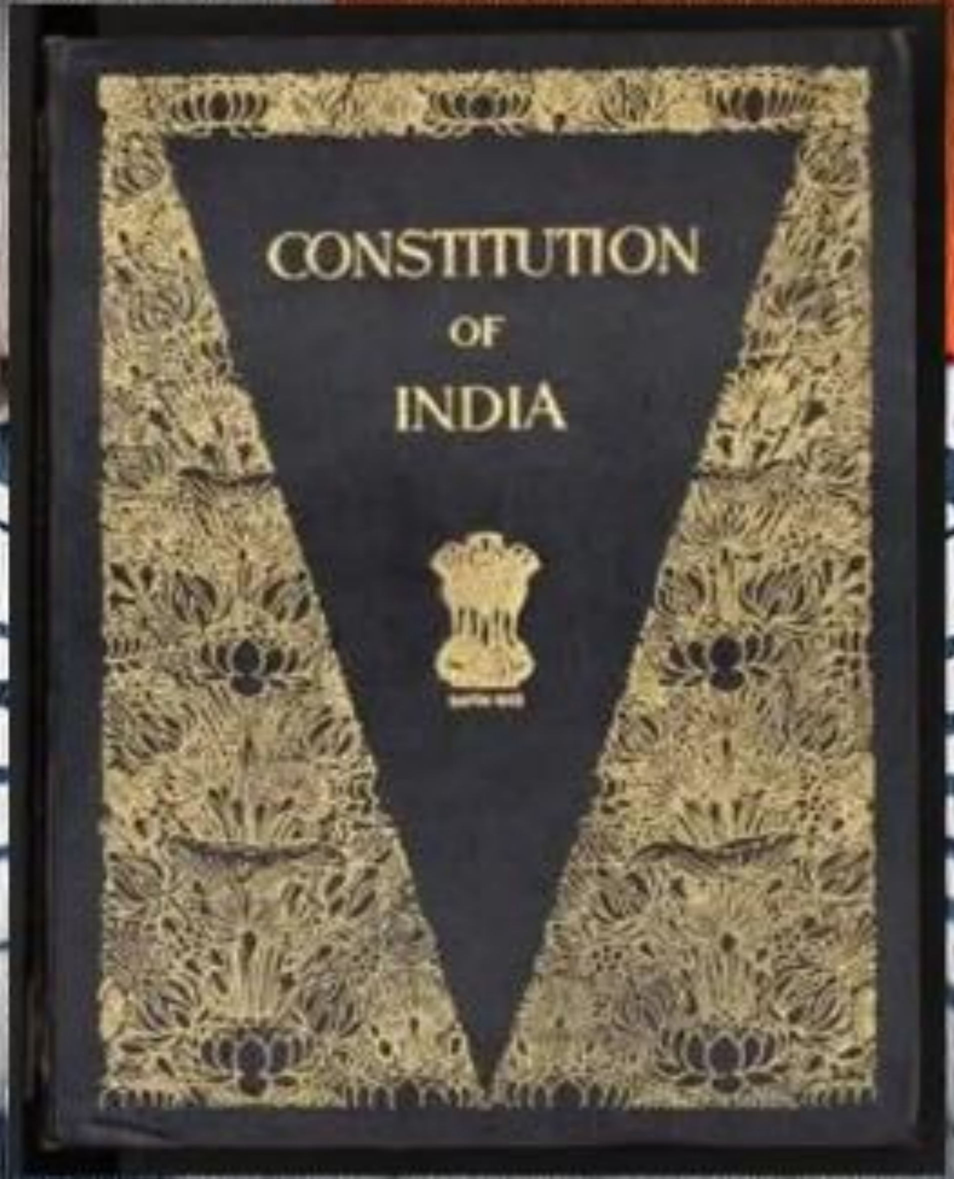

मूल अधिकार
Fundamental Right

आर्टिकल 12-22 (स्वतंत्रता का अधिकार)

मै खूबसूरत पराधीनता नहीं, बदसूरत स्वधीनता चाहती हूँ। (दिव्या उपन्यास)

- यशपाल जी

स्वतंत्रता का अधिकार	युक्तियुक्त निर्बंधन Reasonable Restriction
Article 19 (1)(A) ❑ वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतत्रंता का अधिकार ❑ प्रेस की स्वतंत्रता ❑ स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार-प्रसार करना ❑ जानने का अधिकार ❑ राजनीतिक पार्टी व संगठन द्वारा बंद के आह्वान के विरूद्ध (Bundh Is Illegal) ❑ चुप रहने का अधिकार नोट :- हड़ताल (Strike) का अधिकार शामिल नहीं है।	**Article 19 (2)** ❑ भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता (16th CAA, 1963) ❑ राज्य की सुरक्षा ❑ विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। (1st CAA, 1951 द्वारा जोड़ा गया) ❑ Decency/Morality (सदाचार) ❑ न्यायालय की अवमानना ❑ व्यक्ति की मानहानि ❑ पब्लिक आर्डर (1st CAA, 1951) ❑ अपराध को भड़काना (1st CAA, 1951)

Result Mitra

Article 19 (1)(B)	Article 19 (3)
❑ शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार Note : Right to Strike is not Included	❑ भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता ❑ लोक व्यवस्था (Public Order) ▪ Section 144 of CrPC (1973) ▪ Section 144 of IPC
Article 19 (1)(C) ❑ संघ बनाने की स्वतंत्रता ❑ Association ❑ Unions ❑ Co-Operative Societies (97th CAA, 2011) ❑ राजनीतिक, पार्टी, कंपनी, साझेदारी फर्म, सोसाइटी, क्लब, संगठन, ट्रेड यूनियन, दबाव समूह, बनाने का अधिकार नोट :- एससी ने ट्रेड यूनियन को हड़ताल, बार्गेनिंग, लॉक आउट करने को इस अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा है।	**Article 19 (4)** ❑ भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता ❑ लोकव्यवस्था ❑ नैतिक सदाचार (Morality)

Article 19 (1)(D)	Article 19 (5)
❑ भारतीय राज्यक्षेत्र में स्वतत्रंतापूर्वक विचरण करने की स्वतंत्रता (Freedom of Movement) नोट - यह अधिकार सिर्फ देश के भीतर भ्रमण करने के लिए प्रदत्त है। भारतीय राज्यक्षेत्र से बाहर विचरण करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है।	❑ सामान्य जनता के हित में ▪ Eg. Covid-19 disese outbreack ▪ Prostitution (देह व्यापारी) ❑ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के हित में ❑ Inner line Permit for Nagaland, Manipur, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Lakshdweep
Article 19 (1)(E)	**आर्टिकल 19 (5)**
❑ निवास करने/बस जाने का अधिकार रखा है।	❑ सामान्य जनता के हित में ▪ Eg. Covid-19 disese outbreack ▪ Prostitution (देह व्यापारी) ❑ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के हित में ❑ Inner line Permit for Nagaland, Manipur, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Lakshdweep

Result Mitra

Article 19 (1)(F) /Article 19 (1)(H) ❑ संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ❑ Replaced by 44th CAA, 1978	
Article 19 (1)(G) ❑ व्यापार/कारोबार करने का अधिकार	**Article 19 (6)** ❑ वृत्ति आधारित/तकनीकी योग्यताएं (अर्हताएँ) (1st CAA, 1951) ❑ सामान्य जनता का हित ❑ किसी कारोबार / व्यापार से राज्य नागरिकों को पूर्णतः/आंशिकतः वर्जित कर सकता है क्योंकि उसमें राज्य का एकाधिकार (Monopoly) हो सकता है। (1st CAA, 1951)

Article - 20

- अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
(Protection in Respect of Conviction for Offences)

भूतलक्षी विधि (Ex- Post Festo Law)

सिविल विधि
(Civil Laws)

अपराधिक विधि
(Criminal Laws)

Present Law

भविष्यलक्षी विधि
(Prospective Law)

Article - 20 (1)

नोट :- यह संरक्षण Preventive Detention के संदर्भ में नहीं मिलेगा

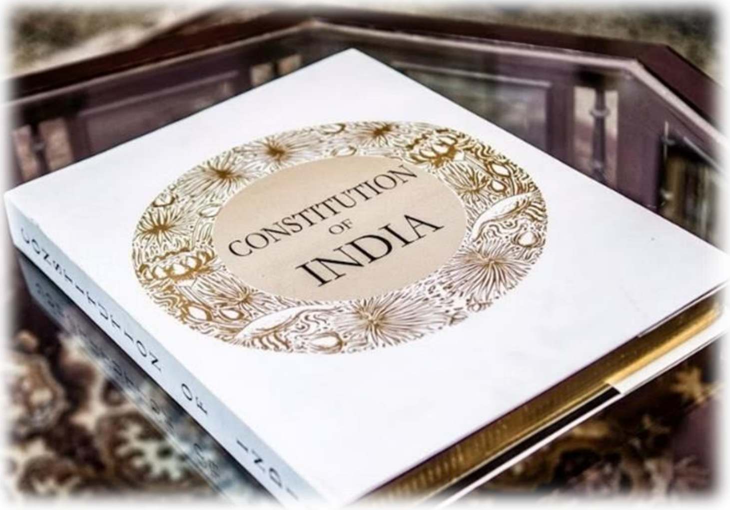

Article 20 (2)

एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं (No- Double Jeopardy)

Article 20 (3)

- किसी अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। (No Self-incriminition)
- यह अधिकार सिर्फ अपराधिक मामलों में ही मिलता है।